

प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनांक 22.10.2026

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 04 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना महुली पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 164 वाहनों से 2,13,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 22.10.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 164 वाहनों से 2,13,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनांक 22.10.2026

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैरेस्टर एक्ट के मामले में 20,000 रु0 के इनामिया अभियुक्त को 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा श्री अभयनाथ मिश्र के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना धनघटा पर मु0अ0सं0 337/2023 धारा 3(1)/ 2(ख)(17) यूपी गैरेस्टर एक्ट से सम्बन्धित 20,000 रु0 के इनामिया अभियुक्त कियामत पुत्र न्याज उर्फ नियाज अहमद निवासी कपरियाडीह थाना धोसी जनपद मऊ को आज दिनांक 05.10.2026 को नेतवापुर चौराहे के पास से 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना में हदावल पर मु0अ0सं0 684/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण- विदित हो कि दिनांक 16.08.2023 को अभियुक्त के अपराधिक इतिहास के दृष्टिगत थाना धनघटा पर मु0अ0सं0 337/2023 धारा 3(1)/ 2(ख)(17) यूपी गैरेस्टर एक्ट अभियोग पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

कियामत पुत्र न्याज उर्फ नियाज अहमद निवासी कपरियाडीह थाना धोसी जनपद मऊ।

बरामदगी-

01. 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर
02. 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
03. 01 अदद मोबाइल
04. 210 रुपया नगद

अपराधिक इतिहास अभियुक्त-

01. मु0अ0सं0 446/2021 धारा 3/5(A)/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।
02. मु0अ0सं0 337/2023 धारा 2(b)(xv)/3(1) यूपी गैरेस्टर एक्ट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।
03. मु0अ0सं0 841/2023 धारा 74-A भादवि0 थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा श्री अजय कुमार सिंह, उ0नि0 मनोज कुमार, का0 महेन्द्र निषाद, का0 मुन्नेलाल गुप्ता।

प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनांक 22.10.2026

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री जय प्रकाश दूबे की गठित टीम द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 244/2026 धारा 2(b)(i), 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त मोहम्मद अफजल उर्फ दोने पुत्र मोहम्मद रईस निवासी पठान टोला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 22.10.2026 को मधुकुंज चौराहा से विधिक नियमों का पालन करते हुये गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

मोहम्मद अफजल उर्फ दोने पुत्र मोहम्मद रईस निवासी पठान टोला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 37/2026 धारा 304(2), 317(2) बीएनएस थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 श्री अनिल कुमार यादव, का0 संदीप यादव।